



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940

No. 860]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2018/AGRAHAYANA 13, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1167(अ).—भागर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 जिन्हे कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना, संख्या सा०का०नि० 599 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त सूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 29 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त नियमों, के संबंध में जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझावप्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब कृषि उपज(श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ: (1) इन नियमों को भागर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 कहा जाएगा।

- (2) ये मानव खपत के प्रयोजनार्थ एकीनोक्लोआ/कोलोना एल. घास के बीजों से प्राप्त और सामान्यतया सैमो बीज के नाम से विख्यात भागर पर लागू होंगे।
- (3) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
- (क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार भागर का श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;
- (ग) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1. 1937 का) और सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित हैं, के अर्थ वह होंगे जो उस अधिनियम और उक्त नियमों में हैं।

3. श्रेणी अभिधान चिह्न: श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र की संख्या, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में वर्णित डिजाइन के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क अधिचिह्न” होगा।

4. श्रेणी अभिधान: भागर की क्वालिटी को दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 के स्तम्भ 1 में वर्णित अनुसार होंगे।

5. क्वालिटी: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए भागर की क्वालिटी अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

6. पैकिंग करने की पद्धति: (1) भागर की पैकिंग नए, साफ और शुष्क जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, पोली वोवन थैलों, जिनकी आंतरिक लाइनिंग खाद्य श्रेणी पदार्थ की हो या पॉलीथीन पाउचों या उच्च सघनता पोलीथाइलीन थैलों का बना हो। सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य खाद्य श्रेणी की पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो कि सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन होगा।

(2) पैकिंग सामग्री स्वच्छ, ठोस होगी और कीटों, फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी जिससे भागर की स्वास्थ्यप्रद, पोषक और आर्गेनोलेप्टिक गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी।

(3) कंटेनर्स और पैकिंग सामग्री ऐसे पदार्थों से तैयार की जाएगी जो सुरक्षित और उद्विष्ट प्रयोग के लिए उपयुक्त हो और उससे भागर में किसी प्रकार के विषाक्त पदार्थ का प्रभाव नहीं आएगा अथवा उसमें अवांछनीय महक अथवा स्वाद नहीं आएगा।

(4) भागर की पैकिंग विधिक माप विज्ञान(पैक की गई वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अथवा सलाहकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार की और समान श्रेणी अभिधान की भागर होगी।

(6) प्रत्येक पैकेज उचित रूप से और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा।

7. चिह्नांकन की पद्धति: (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर सलाहकार द्वारा या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक लेबल अथवा पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात:-

- (क) वस्तु का नाम;
- (ख) पैकिंग का स्थान;
- (ग) लॉट अथवा बैच संख्या;
- (घ) पैकिंग की तारीख;
- (ङ) श्रेणी
- (च) शुद्ध भार;
- (छ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) ;
- (ज) तारीख.....मास.....वर्ष.....से पूर्व उपयोग के लिए सर्वोत्तम;
- (झ) अधिकृत पैकर का नाम;
- (ञ) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

(2006 का 34), तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत या सलाहकार द्वारा या समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसार उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण

- (ट) फसल का वर्ष और सीजन(वैकल्पिक) ;
- (ठ) व्युत्पत्ति देश अथवा उत्पाद की व्युत्पत्ति अथवा भौगोलिक क्षेत्र(वैकल्पिक)

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी होगी जो भागर को संदूषित न कर सके ।

(4) प्राधिकृत पैकर, सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा । परंतु वह इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें: साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के प्रयोजनार्थ जारी किए गए प्रत्येक प्राधिकार प्रमाण-पत्र के संबंध में निम्नलिखित विशेष शर्तें होंगी अर्थात्:-

- (1) भागर की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर या तो विनिर्धारित मानकों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा अथवा अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या सहयोजन प्रयोगशाला के साथ या सलाहकार द्वारा अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्यता प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क करेगा ।
- (2) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन और अच्छे प्रकाश की व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।
- (3) प्राधिकृत पैकर के पास पक्के फर्श वाली स्वास्थ्यप्रद भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृतक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगी ।

- (4) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंदी और अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में सलाहकार या/ इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

अनुसूची-1
(नियम 3 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)



वस्तु का नाम

श्रेणी

अनुसूची-2

(नियम 4 और नियम 5 देखें)

(भागर का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी)

1. भागर को मानव खपत के प्रयोजनार्थ एकीनोकोला कोलोना एल घास के बीज से प्राप्त किया जाएगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

- (1) भागर की गिरी:-

- (क) शुष्क, स्वच्छ और साबुत होगी;
- (ख) श्वेत से क्रीमी श्वेत रंग की अथवा स्लेटी रंग की होगी;
- (ग) समान आकार, आकृति और रंग की तथा खरीदने और बेचने की स्थिति वाली होगी;
- (घ) कृत्रिम रंजक और पॉलिशिंग/एजेंट से मुक्त होगी;
- (ङ) दुर्गंध से मुक्त होगी;
- (च) कृतक बालों और विष्ठा, गंदगी, भुकड़ी, जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों और फफूंदी से मुक्त होगी;
- (छ) असामान्य स्वाद, सुवास और गंध से मुक्त होगी;

- (2) भागर के देशी व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006(2006 का 34) के अंतर्गत बनाए गए। खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त और अवशेष) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अनुसार धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीट नाशक और नाशीजीव नाशक अवशेषों, जीवाणु संबंधी अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों और अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के मामले में प्रतिबंधों का अनुपालन होगा।

(3) भागर के निर्यात के मामले में भारी धातुओं, नाशीजीवों की अवशेषी सीमाओं तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।

3. श्रेणी अभिधान का मापदंड: भागर का श्रेणी अभिधान तथा सहन करने की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है।

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहन करने की अधिकतम सीमा(वजन के आधार पर प्रतिशत)					घुन अनाज(संख्या के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ	अपरिपक्व और कुम्हलाया हुआ अनाज	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त अनाज	
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	12.0	शून्य	2.0	शून्य	शून्य	शून्य
मानक	12.0	0.5	5.0	1.0	0.5	0.5
साधारण	12.0	0.5	7.0	1.0	4.0	2.0

4. अन्य अपेक्षाएं :

(i) भागर की स्थिति ऐसी होगी कि वह---

(क) परिवहन और उठाई-धराई की स्थिति को सहन कर सके और

(ख) संतोषजनक स्थिति में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।

(ii) भागर को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा; उसका रख-रखाव स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में किया जाएगा।

5. स्पष्टीकरण:- इस अनुसूची हेतु -

"क्षतिग्रस्त और बदरंग":- ऐसी गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जो उष्णता, नमी, मौसम अथवा सूक्ष्मजीवों के प्रभाव के कारण प्रस्फुटित हो जाते हैं या आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग हो जाते हैं। इस बदरंगता से गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है।

"घुन लगा अनाज": इसका अभिप्राय: ऐसे अनाज से है जो अनाज के लिए हानिकारक कीटों द्वारा आंशिक अथवा पूरी तरह छिद्रित कर दिया गया हो, लेकिन उसमें जीवाणुओं द्वारा खाया हुआ अनाज और अंडों के धब्बों से युक्त अनाज शामिल नहीं होगा।

"अन्य खाद्य/खाद्यान्न": विचारार्थ अनाज के अतिरिक्त अन्य खाद्य/खाद्यान्न

"अपरिपक्व": गिरियां अथवा अनाज की गिरियों के टुकड़े जो पूरी तरह परिपक्व न हुए हों।

"विजातीय पदार्थ":- इनमें अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत धूल-मिट्टी, बजरी, पत्थर, शीशा और धात्विक टुकड़े, मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कीचड़ के ढेले शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत भूसी, तिनके, खरपतवार बीज और अन्य अखाद्य अनाज आदि आते हैं।

[मिसिल सं. क्यू.11028/02/भागर/2016-मानक]

पी. के. स्वाई, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2018

G.S.R. 1167(E).—Whereas, the Bhagar Grading and Marking Rules, 2018, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i) vide notification number G.S.R. 599(E), dated the 29th June, 2018 inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notifications were made available to the public on 29th June, 2018;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respects of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) the Central Government, hereby makes the following rules, namely:-

Rules

- 1. Short title, application and commencement.**- (1) These rules may be called the Bhagar Grading and Marking Rules, 2018.
 - (2) They shall apply to Bhagar, commonly known as samo seed obtained from seed of a grass *Echinochloa colona L.* intended for human consumption.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
 - (b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted certificate of authorisation to grade and mark Bhagar in accordance with the grade standards and procedure specified under these rules;
 - (c) "schedule" means a schedule appended to these rules.
 - (2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and the General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meanings as are assigned to them in the said Act or the rules..
- 3. Grade designation mark.**- The grade designation mark shall be "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as specified in Schedule-I.
- 4. Grade designations.**- The grade designations to indicate the quality of Bhagar shall be as specified in column I of the Table under paragraph 3 of Schedule-II.
- 5. Quality.**- For the purposes of these rules, the quality of Bhagar shall be as specified in Schedule II.
- 6. Method of packing.**- (1) Bhagar shall be packed in new, clean and dried jute bags, cloth bags, poly woven bags with inner lining of food-grade material or poly pouches, high density poly ethylene bags of food grade material/packing material as approved by the Adviser in accordance with the General Grading and Marking Rules, 1988.
 - (2) The packing material shall be clean, sound and free from insect, fungal infestation which shall safeguard the hygienic, nutritional and organoleptic qualities of the bhagar.
 - (3) The containers including packaging material shall be made of such substances which are safe and suitable for their intended use and they shall not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to bhagar.
 - (4) Bhagar shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under the Act, or in accordance with the instructions issued by the Adviser from time to time.
 - (5) Each package shall contain bhagar of the same type and of the same grade designation.
 - (6) Each package shall be properly and securely closed and sealed.

7. Method of Marking.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the provision of rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label or package, namely :-

- (a) Name of the commodity;
- (b) Place of packing;
- (c) Lot or batch number;
- (d) Date of packing;
- (e) Grade;
- (f) Net weight;
- (g) Maximum Retail Price (inclusive of all taxes);
- (h) Best before.....date.....month.....year;
- (i) Name and address of the authorised packer;
- (j) Any other information as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under the Act and the Food Safety and Standards Act, 2006 or instructions issued by the Adviser or any officer authorised by him from time to time;
- (k) Crop year or season (optional);
- (l) Country of origin or Origin of produce or Geographical region (optional);

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the product.

(4) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with the provisions of these rules.

8. Special conditions of certificate of authorisation.- In addition to the conditions specified under the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the special conditions for every certificate of authorization issued for the purpose of these rules, namely:-

(a) the authorised packer shall either set up his own laboratory as per the specified norms or have access to an approved state grading laboratory or co-operative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Adviser or an officer authorised by him in this regard in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Bhagar;

(b) the premises shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in good health and free from any infectious, contagious or communicable diseases;

(c) The premises shall have adequate storage facilities with clean and proper pucca flooring and free from rodent and insect infestation;

(d) the authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Adviser or any other officer authorised by him in this regard from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 3)

(Design of Agmark insignia)



Name of Commodity.....

Grade.....

SCHEDULE-II

(See rules 4 and 5)

(GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF Bhagar)

1. Bhagar shall be obtained from seed of a grass *Echinochloa colona L.* intended for human consumption.
2. Minimum Requirements:
 - (1) Bhagar shall be:-
 - (a) dry, clean and wholesome
 - (b) white to creamy white or grayish colour and translucent;
 - (c) in uniform size, shape, colour and be in merchantable condition;
 - (d) free from artificial colouring and polishing agent;
 - (e) free from obnoxious smell;
 - (f) free from rodent hair and excreta, filth, moulds, live insects, dead insects, insects fragments and fungus;
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (2) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residues, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (3) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.
3. Criteria for grade designation: The grade designation of Bhagar and limits of tolerance are as under-

TABLE

Grade designation	Maximum limit of tolerance (per cent by weight)					Weeviled grains (per cent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter	Immatured Shrivelled grains	Other edible grains	Damaged grains	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	12.0	Nil	2.0	Nil	Nil	Nil
Standard	12.0	0.5	5.0	1.0	0.5	0.5
General	12.0	0.5	7.0	1.0	4.0	2.0

4. Other requirements.-

(i) The condition of the Bhagar shall be such so as to enable it-

(a) to withstand transport and handling; and

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Bhagar shall be stored in dry and hygienic place at normal room temperature.

5. Explanation- For the purposes of this schedule-

“damaged grains”: means kernels or pieces of kernels that are sprouted or internally damaged as a result of heat, moisture, weather or microbes.

“weeviled grains”: means the grain kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grain but do not include germ-eaten grains and egg-spotted grains.

“other edible/food grains”: means the edible/food grains other than the grain under consideration;

“immature”: shriveled grains means kernels or pieces of grain kernels that are not fully developed;

“foreign matter”: includes the inorganic matter such as sand, gravel, dirt, pebbles, stones, glass and metallic pieces, lumps of earth, clay and mud and organic matter such as husk, chaff, straw, weed seeds and other inedible grains;

[F. No. Q-11028/02/Bhagar/2016-std.]

P. K. SWAIN, Jt. Secy. (Marketing)